राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 85/2017

श्यामलाल पुत्र श्री गोरीशंकर जाति शर्मा निवासी दूधवा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0 ....वादी

ब–ना–म

1. राजकुमार दत्तक पुत्र सरवती जाति ब्राहमण निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. महिपाल पुत्र श्री गोरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. अशोक उर्फ मुन्ना दत्तक पुत्र मनोहरी जाति ब्राहमण निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. ममता देवी पत्नी महेन्द्र सिंह जाति गुर्जर निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. सुनिता देवी पत्नी श्री सत्यपाल सिंह जाति गुर्जर निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा खेतड़ी नगर जरिये शाखा प्रबंधक।
7. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
8. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।
9. मनभावती पत्नी स्व. रामकुमार जाति ब्राहमण निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
10. अनिल पुत्र स्व. रामकुमार जाति ब्राहमण निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
11. प्रदीप शर्मा पुत्र स्व. रामकुमार जाति ब्राहमण निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
12. सतीश पुत्र स्व. रामकुमार जाति ब्राहमण निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......प्रतिवादीगण

दावा– उद्‌घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

दिनांक :–31–10–2022

:: निर्णय ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:16 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया [illegible] कि खाता संख्या नया 10 के खसरा नंबर 90 रकबा 0.63 है., ख.नं. [illegible] कुल [illegible] 2 कुलरकबा 1.18 है. तथा खाता संख्या नया 435 के खसरा नंबर [illegible] 82 रकबा 0.20 है., ख.नं. 84 रकबा 0.09 है., ख.नं. 85 रकबा 0.77 है., ख.नं. 87 रकबा 0.2[illegible] कुल किता 5 कुल रकबा 1.57 है., खाता संख्या नया 436 के खसरा नंबर 504 रकबा 0.48 है., ख.नं. 505 रकबा 0.56 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.04 है. वाके ग्राम दुधवा तहसील खेतड़ी में स्थित है। प्रतिवादी सं. 1 सरवती देवी पत्नी स्व. मुरलीधर के दिनांक 28.8.2001 को गोद चला गया था तथा प्रतिवादी सं.

[illegible] अधिकारी, खेतड़ी

3 मनोहरी पत्नी स्व. बनवारीलाल के दिनांक 28.8.2001 को गोद चला गया अर्थात् स्व. गौरीशंकर के वादी व प्रतिवादी सं. 2 ही ओरस पुत्र रहे। इस प्रकार उक्त विवादित आराजियात में स्व.. गौरीशंकर के हक व हिस्से के वादी व प्रतिवादी सं. 2 ही एक मात्र वारिश रहे। प्रतिवादी सं. 1 व 3 का अपने ओरस पिता के हिस्से की आराजियात में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा। वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगा. 2 के चाचा माडूराम दिनांक 19.5.2016 को नाऔलाद फौत हो गया जिसके कारण उक्त विवादित आराजियात में उसका हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 2 को 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 को 1/2 हिस्सा में निहित होगा। इस प्रकार विवादित आराजियात के खातासंख्या नया 10 में व 435 के खसरा नंबर 85 रकबा 0.77 है. में व खाता संख्या 436 में वादी व प्रतिवादी सं. 2 का 1/4, 1/4 हक व हिस्सा हुआ तथा उक्त खातों में राजकुमार व अशोक का गोद चले जाने के कारण अपने ओरस पिता के हिस्से में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा तथा खाता सख्या नया 435 के खसरा नंबर 85 रकबा 0.77 है. व खाता संख्या नया 436 में प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हक व हिस्सा हुआ तथा खाता संख्या नया 435 के खसरा नंबर 81 रकबा 0.29 है., ख.नं. 82 रकबा 0.20 है., ख.नं. 84 रकबा 0.09 है., ख.नं. 87 रकबा 0. 22 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.80 है. प्रतिवादी सं. 4 व 5 के हिस्से की भूमि है। प्रतिवादी सं. 4 व 5 ने खाता संख्या नया 435 के खसरा नंबर 81, 82, 84, 87 कुल किता 4 कुल रकबा 0.80 है. भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद की है। उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा ना ही वादी इनके खिलाफ कोई अनुतोष चाहता है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि खाता संख्या नया 10 के खसरा नंबर 90 रकबा 0.63 है., ख.नं. 91 रकबा 0.55 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 है. तथा खाता संख्या नया 435 के खसरा नंबर 85 रकबा 0.77 है. में व खाता संख्या 436 के खसरा नंबर 504 रकबा 0.48 है., ख.नं. 505 रकबा 0.56 है. कुल किता 2 कुलरकबा 1.04 है. में वादी को 1/4 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर पर्चा लगान जारी किया जावे तथा इस हिस्से के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर स्व. गौरीशंकर के हिस्से में राजकुमार व मुन्ना उर्फ अशोक का नाम हजफ किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ने जवाब दावा मय प्रतिवाद प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रतिवादी सं. 1 उक्त भूमि के मूल रूप से खातेदार स्व. सरबती का [illegible] हि[illegible] था उसके गोद पुत्र होने से 1/4 भाग का खातेदार था मगर प्रतिवादी सं. [illegible] के पुत्र रामकुमार ने अपना हिस्सा 1/4 का खाता विभाजन करवा लिया था जिससे उसके हिस्से में भूमि ख.नं. 81, 82, 84, 87 कुल किता 4 कुल रकबा 0.80 है. को अपने हिस्से में लेकर उसे प्रतिवादी सं. 4 व 5 को विक्रय कर दिया इसलिये शेष बची भूमि ख.नं. 90, 91, 85, 504, 505 में उसका कोई हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

नहीं रहा व केवल तीन हिस्सेदार क्रमशः प्रतिवादी सं. 1 रामकुमार, वादी व प्रतिवादी सं. 2 वही कुरडाराम के हिस्से पर रहे है। प्रतिवादी सं. 3 अशोक उर्फ मुन्ना का केवल भूमि ख.नं. 90, 91 मे 1/4 हिस्सा गोद के आधार पर व 1/4 हिस्सा स्व. अमीचन्द के वारिशान महावीर, ओमप्रकाश, महेश व मीचन्द के पुत्र स्व. रामोतार के वारिशान से क्रय करने के आधार पर हुआ व शेष 1/2 हिस्से के 1/3 भाग का प्रतिवादी सं. 1 व 1/6 भाग में वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 1/3 भाग का कुरड़ाराम का चोथा पुत्र स्व. माडूराम रहा। माडूराम की मृत्यु दिनांक 19.5.2016 को होने पर उसके भाई रामकुमार को मिला व उसकी मृत्यु दिनांक 1.01.2018 को होने पर उसका हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 से 9 को प्राप्त हुआ। वादी का 1/4 हिस्सा किसी भी तरह से नहीं है। भूमि ख.नं. 90, 91 में प्रतिवादी सं. 1 की गोद माता सरबती का भूल से नाम दर्ज नहीं हो सका मगर वह स्व. कुरड़ाराम के पुत्र मुरलीधर की पत्नी होने से उसका उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा था जो कुरडाराम के पुत्र रामकुमार द्वारा अपने हिस्से में अन्य भूमि लेने से उसका हिस्सा खत्म हो गया व अब कुरडाराम के हिस्से में केवल तीन हिस्सेदार रहे जो वादी व प्रतिवादी सं. 2 1/6 भाग व 1/12, 1/12 भाग व प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 भाग व स्व. माडूराम का 1/6 भाग रहा। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 भूमि ख.नं. 90, 91 का 1/6 भाग का, वादी व प्रतिवादी सं. 2 संयुक्त रूप से 1/6 भाग के व दोनों का अलग–अलग 1/12, 1/12 भाग रहा व 1/6 हिस्सा स्व. माडूराम का था जो प्रतिवादी सं. 6 से 9 को प्राप्त हुआ व प्रतिवादी सं. 3 का 1/2 भाग रहा। शेष भूमि ख.नं. 85, 504, 505 में प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 भाग, वादी प्रतिवादी सं. 2 का 1/3 भाग व प्रतिवादी सं. 3 का कोई हिस्सा नहीं रहा व उसके पिता का नाम गोरीशंकर भी गलत रूप से दर्ज है जो अशोक उर्फ मुन्ना पुत्र मनोहरी पत्नी बनवारी जाति ब्राहमण निवासी दूधवा होना चाहिए।

अतः प्रतिदावा पेश कर निवेदन है कि :–

(क) ग्राम दूधवा नांगलिया स्थित भूमि ख.नं. 90 रकबा 0.63 है., ख.नं. 91 रकबा 0.55 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 है. में प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा घोषित किया जावे व इसी अनुसार रिकार्ड बनाया जावे व प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हिस्से का खाता विभाजन कर अलग से लगान कायम कर खाता विभाजन किया जावे व प्रतिदावे में प्राथमिक व अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(ख) ग्राम दूधवा स्थित भूमि ख.नं. 85 रकबा 0.77 है. में [illegible] 504 रकबा 0.48 है., ख.नं. 505 रकबा 0.56 है. कुल किता 2 कुल [illegible] 1/3 हिस्सा घोषित किया जावे व इसी प्रकार रिकार्ड बनाया [illegible] 3 हिस्सा का खाता विभाजन कर अलग से लगान कायम कर अलग खाता विभाजन कि[illegible]ावे व प्रतिदावे में प्राथमिक व अंतिम डिक्री जारी की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

(ग) वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो प्रतिवादी सं. 1 काउन्टर क्लेमेन्ट का भूमि ख.नं. 90 रकबा 0.63 है., खं.नं. 91 रकवा 0.55 है. कुल किता 2 कुल रकवा 1.18 है. में 1/6 भाग को व ख.नं. 85 रकबा 0.77 है. में से व ख.नं. 504 रकवा 0.48 है., ख.नं. 505 रकबा 0.56 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.04 है. में 1/3 भाग को काश्त करने से न रोके व किसी भी प्रकार से बाधा पैदा ना करें।

प्रतिवादी सं. 9 लगा. 12 ने जवाव दावा मय प्रतिदावा पेश किया। प्रतिदावा के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पक्षकारान के मध्य अब विवाद ख.नं. 90 रकवा 0.63, ख.नं. 91 रकवा 0.55 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 है. का है जिसमें स्व. माडूराम का 1/6 हिस्सा था जो उसके भाई रामकुमार को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार प्राप्त हुआ व उसकी मृत्यु दिनांक 19.05.2016 को होने से व रामकुमार की मृत्यु दिनांक 1.1.2018 को होने से केवल वही उत्तराधिकारी रहा इसलिये काउन्टर क्लेमेन्ट प्रतिवादी सं. 6 से 9 उक्त भूमि ख.नं. 90, 91 के 1/6 हिस्से को प्राप्त करने के अधिकारी है व उक्त भूमि में अपना 1/6 हिस्सा घोषित करवाने के व जमाबन्दी में नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। स्व. माडूराम ग्राम दूधवा स्थित भूमि ख.नं. 504 रकबा 0.48 है., ख.नं. 505 रकबा 0.56 है. कुल किता 2 कुल रकवा 1.04 है. में भी 1/3 हिस्सा था जो भी उत्तराधिकार में उक्त रामकुमार को प्राप्त हुआ व उसकी मृत्यु के बाद काउन्टर क्लेमेन्ट प्रतिवादी सं. 6 से 9 को प्राप्त हुआ जिसको भी उक्त प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेमेन्ट अपनी खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी हैं। इसी प्रकार ग्राम दूधवा स्थित भूमि ख.नं. 85 रकबा 0.77 है. में भी स्व. माडूराम का 1/3 हिस्सा था जो भी उसकी मृत्यु दिनांक 19.05.2016 को होने से उसके एक मात्र उत्तराधिकारी स्व. रामकुमार को प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रतिवादीगण सं. 6 से 9 अपने हक में खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है। स्व. माडूराम की भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 का कोई हिस्सा नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 का भूमि ख.नं. 90, 91, में बतौर उत्तराधिकारी सरवती पत्नी मुरलीधर के 1/6 हिस्सा व भूमि ख.नं. 504, 505 में भी 1/3 हिस्सा है व खं.नं. 85 में भी 1/3 हिस्सा है व वादी व प्रतिवादी सं. 2 महिपाल का भूमि ख.नं. 90, 91 में 1/6 हिस्सा है। इस प्रकार प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा है व भूमि ख.नं. 85, 504, 505 में दोनों का 1/3 हिस्सा यानी प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा है। प्रतिवादी सं. 3 का भूमि ख.नं. 90, 91 में 1/2 हिस्सा है व भूमि ख.नं. 85, 504, 505 में कोई हिस्सा नहीं है। वह मनोहरी पत्नी बनवारी के गोदचला गया [illegible] में उसका नाम अशोक पुत्र गोरीशंकर गलत दर्ज है जो अशोक पुत्र मनोहरी पत्नी बनवारी दर्ज होना जरूरी है व प्रतिवादी सं. 1 भी उपरोक्त वर्णित समस्त भूमि में बतौर राजकुमार पुत्र सरवती पत्नी मुरलीधर दर्ज होना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

अतः प्रतिदावा पेश कर निवेदन है कि :–

(क) ग्राम दूधवा नांगलिया स्थित भूमि ख.नं. 90 रकबा 0.63 है., ख.नं. 91 रकबा 0.55 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 है. में काउन्टर क्लेमेन्ट का 1/6 हिस्सा घोषित किया जावे व 1/6 हिस्से का खाता विभाजन कर अलग से लगान कायम कर खाता विभाजन किया जावे तथा भूमि ख.नं. 85 रकबा 0.77 है. में से व ख.नं. 504 रकबा 0.48 है., ख.नं. 505 रकबा 0.56 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.04 है. में काउन्टर क्लेमेन्ट का 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर अलग से खाता विभाजन कर अलग से लगान कायम किया जावे व प्रतिदावे में प्राथमिक व अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(ख) प्रतिवादी सं. 3 के पिता का नाम गोरीशंकर से हटाकर रिकार्ड में सब जगह अशोक पुत्र मनोहरी पत्नी बनवारी दर्ज किया जावे व प्रतिवादी सं. 1 के पिता का नाम गोरीशंकर हटाकर राजकुमार पुत्र सरबती पत्नी मुरलीधर दर्ज किया जावे।

प्रतिवादी सं. 4 से 8 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 1 व 9 से 12 का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं. 1 व 9 लगा. 12 के अनुतोष प्रतिदावा अस्वीकार कर प्रतिदावा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे का निवेदन किया है।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 खाता सं. 10, खाता सं. 436, खाता सं. 435 ग्राम दूधवा, फोटो प्रति गोदनामा दिनांक 28.08.2001, मृत्यु प्रमाण पत्र मनोहरी देवी, सरबती व माडूराम के पेश किये।

वादग्रस्त भूमि बाबत पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 3 ने उपस्थित होकर आपसी सहमति राजीनाम दिनांक 19.07.2022 को पेश किया जिसे बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों, पक्षकारान वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 की ओर से प्रस्तुत आपसी सहमति राजीनामा दिनांक 19.07.2022 का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेज के मुताबिक मृतक गोरीशंकर पुत्र कुरड़ाराम के चार पुत्रों क्रमशः 1. श्यामलाल 2. राजकुमार उ[illegible] 3. [illegible] 4. अशोक उर्फ मुन्ना में से राजकुमार उर्फ रामकुमार–सरबती पत्नी स्व. श्री मुरलीध[illegible] जाति [illegible]मण निवासी दूधवा के दिनांक 28.08.2001 को व अशोक कुमार उर्फ मुन्ना [illegible] बनवारी लाल जाति ब्राहमण निवासी दूधवा के दिनांक 28.08.2001 को गोद चले जाने के कारण मृतक गोरीशंकर के हिस्से की भूमि का विवाद उत्पन्न हुआ है वर्तमान में मृतक गोरीशंकर की विरासत उनके चारों पुत्रों में खुल चुकी है विवादास्पद बिन्दु मृतक गोरीशंकर पुत्र कुरड़ाराम के चारो पुत्रों के मध्य होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

राजीनामा का खण्ड सं. 1 ही स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। चूंकि मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 31.05.2016 के मुताविक माडूराम पुत्र कुरड़ाराम की दिनांक 19.05.2016 को मृत्यु हो चुकी है। माडूराम की विरासत का निर्धारण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135 या 135(2) के तहत नहीं हुआ है। स्व. माडूराम की विरासत के लिए पक्षकारान तहसीलदार, खेतड़ी के यहां धारा 135 या 135(2) के अन्तर्गत चाराजोही के लिए स्वतंत्र हैं। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान ने सहमति दी कि मुताबिक राजीनाम दिनांक 19.07.2022 के वाद वादी डिक्री कर दिया जावे। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 की ओर से प्रस्तुत राजीनामा का खण्ड सं. 1 स्वीकार कर वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रतिवादी सं. 9 से 12 का प्रतिदावा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135, 135(2) के परिपेक्ष्य में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा राजीनाम दिनांक 19.07.2022 का खण्ड सं. 1 स्वीकार कर ग्राम दूधवा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता सं. 505 के हाल खसरा नंबर 85 रकवा 0.77 है. से अशोक पुत्र गोरीशंकर (प्रतिवादी सं. 3) व राजकुमार पुत्र गोरीशंकर (प्रतिवादी सं.1) हिस्सा 1/6 का नाम हजफ कर वादी व प्रतिवादी सं. 2 को 1/6–1/6 हिस्से का, खाता संख्या नया 506 के हाल खसरा नंबर 504 रकवा 0.48 है., ख.नं. 505 रकबा 0.56 है. किता 2 कुल रकवा 1.04 है. से मुन्ना व राजकुमार पुत्रान गोरीशंकर हिस्सा 1/6 का नाम हजफ कर वादी व प्रतिवादी सं. 2 को 1/6–1/6 हिस्से का तथा खाता संख्या नया 11 के हाल खसरा नंबर 90 रकवा 0.63 है., ख.नं. 91 रकबा 0.55 है. किता 2 कुल रकबा 1.18 है. से मुन्ना व रामकुवार पुत्रान गोरीशंकर हिस्सा 1/5 का नाम हजफ कर वादी व प्रतिवादी सं. 2 को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार, खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:16 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

गूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

ठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

श्यामलाल

ब–ना–म

राजकुमार आदि

दावा बाबत **उद्घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती**

मुकदमा नम्बर :– **85 / 2017**

निर्णय दिनांक :– **31–10–2022**

वादी की ओर से **श्री हेमराज सिंह एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से **श्री रोशन लाल सैनी एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **31–10–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः प्रतिवादी सं. 9 से 12 का प्रतिदावा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135, 135(2) के परिपेक्ष्य में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा राजीनाम दिनांक 19.07.2022 का खण्ड सं. 1 स्वीकार कर ग्राम दूधवा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता सं. 505 के हाल खसरा नंबर 85 रकबा 0.77 है. से अशोक पुत्र गोरीशंकर (प्रतिवादी सं. 3) व राजकुमार पुत्र गोरीशंकर (प्रतिवादी सं.1) हिस्सा 1/6 का नाम हजफ कर वादी व प्रतिवादी सं. 2 को 1/6–1/6 हिस्से का, खाता संख्या नया 506 के हाल खसरा नंबर 504 रकबा 0.48 है., ख.नं. 505 रकबा 0.56 है. किता 2 कुल रकबा 1.04 है. से मुन्ना व राजकुमार पुत्रान गोरीशंकर हिस्सा 1/6 का नाम हजफ कर वादी व प्रतिवादी सं. 2 को 1/6–1/6 हिस्से का तथा खाता संख्या नया 11 के हाल खसरा नंबर 90 रकबा 0.63 है., ख.नं. 91 रकबा 0.55 है. किता 2 कुल रकबा 1.18 है. से मुन्ना व रामकुवार पुत्रान गोरीशंकर हिस्सा 1/5 का नाम हजफ कर वादी व प्रतिवादी सं. 2 को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार, खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **31–10–2022** को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:16 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी